

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 23(2)(55)त.शि./2015 पार्ट

जयपुर, दिनांक, 24 जून, 2020

Secretary/Chairman,
RAJASTHAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
BHANKROTA, AJMER ROAD,
JAIPUR.

विषय :- NOC for ADDITION OF DEGREE COURSE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की अभिशंभा के अनुसार RAJASTHAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY BHANKROTA, AJMER ROAD, JAIPUR. को सत्र 2020-21 से ADDITION OF DEGREE COURSE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त संस्थान द्वारा ADDITION OF DEGREE COURSE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE किये जाने से छात्रों के अध्यापन, फीस संबंधि एवं लीगल संबंधि समस्त जिम्मेदारी स्वयं संस्थान की रहेंगी तथा एआईसीटीई, आर्टीयू कोटा/बीटीयू बीकानेर/प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान जोधपुर एवं राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा जारी गाईडलाइन्स एवं आदेशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, तकनीकी शिक्षा भवन झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद चंडीगढ़।
5. रजिस्ट्रार, आर्टीयू कोटा/ बीटीयू बीकानेर।
6. निदेशक तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
7. निदेशक सेन्टर फॉर ई गवर्नेंस, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.